Year-8; Sept. 2017
ISSN–2231-1130
UGC Sr. No. – 48398
●●●●VEETHIKA●●●

ताशकन्द समझौता और जुल्फिकार अली भुट्टो

डॉ0 विनय बहादुर पाण्डेय *

9 अप्रैल 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच रण–कच्छ विवाद को लेकर युद्ध की शुरूआत हो गई। पाकिस्तान की 51वीं ब्रिगेड ने 9 अप्रैल 1965 को 03:30 बजे रात्रि में कच्छ क्षेत्र के सरदार पोस्ट में भारी बमबारी के साथ आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान विदेशमंत्री भुट्टो ने यह दावा किया कि कच्छ का क्षेत्र सिन्ध रियासत का भाग था। कच्छ रण से जुड़ा था इसलिए रण–कच्छ पाकिस्तान का है। सिन्ध क्षेत्र भुट्टो के अपने खुद के जीवन से जुड़ा हुआ था क्योंकि भुट्टो भी सिन्ध के रियासती खानदान के थे। इसलिए वे कच्छ के 3500 वर्ग मील क्षेत्र को पाकिस्तानी क्षेत्र होने का दावा कर रहे थे। साथ ही पाकिस्तान इस क्षेत्र को समुद्री और नदी पानी के रूप में देखता था और इस स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार दोनों देशों के मध्य की सीमा इस क्षेत्र के बीचों–बीच मानी जा सकती है। पाकिस्तानी विदेशमंत्री भुट्टो ने सेना को सैनिक एकत्रीकरण का आदेश दिया, जिसमें सभी सैनिकों की छुट्टियाँ रद्द कर दी गयीं, तथा छुट्टी पर गये सभी अफसरों को वापस काम पर बुला लिया गया। अर्ध सैनिक पाकिस्तानी सेना बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाने लगा, जिसे पश्चिमी पाकिस्तानी रजाकार एवं मुजाहिद के नाम से जाना जाने लगा। यह कार्य ज्यादातर सिन्ध में हो रहा था। पाकिस्तान ने निर्णय लिया कि उसी भूमि पर चढ़ाई की जाय, जिस पर उनका अधिकार नहीं है और जो वह भारत की सीमा के अन्तर्गत समझते हैं।

15 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान के विदेशमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा कि 'यह अवश्य याद रखना चाहिए कि मुख्य बात यह है कि यह भूमि से सम्बन्धित विवाद है जो 24 पेरल के करीब उत्तर की तरफ है। यह विवाद इसलिए नहीं उठा है कि यह सीमा निर्धारित है, बल्कि इसलिए उठा है कि यह विवादास्पद भूमि भारत के अवैध रूप से अधिकार में है। 23 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान ने टेंकों और तोपों की भारी तैयारी के साथ रण–कच्छ पर आक्रमण कर दिया।भारत–पाक के बीच संघर्ष को रोकने के लिए ब्रिटेन ने युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया, परन्तु पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया। अन्त में लंदन में राष्ट्रमण्डलीय प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन के अवसर पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री विल्सन के प्रयत्नों से भारत–पाक के बीच कच्छ प्रश्न पर युद्ध विराम करके 30 जून 1965 को एक समझौता हुआ। इस समझौते में यह निर्णय लिया गया कि दोनों देशों की सेनाएँ 1 जनवरी 1965 की स्थिति में चली जायें। सीमा निर्धारण के प्रश्न पर निष्पक्ष न्यायाधिकरण गठित किया गया। इस न्यायाधिकरण में एक–एक सदस्य दोनों देशों के नियुक्त करने तथा दोनों देशों के सदस्यों द्वारा एक अध्यक्ष नियुक्त करने का प्रस्ताव था। इस न्यायाधिकरण में भारत ने अपनी ओर से यूगोस्लाविया के एक न्यायाधीश को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। इसी प्रकार पाकिस्तान ने अपनी ओर से ईरान के न्यायाधीश को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। इन दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने मिलकर एक स्वीडिश न्यायाधीश को इस न्यायाधिकरण का अध्यक्ष मनोनीत किया। लेकिन इस न्यायाधिकरण ने बहुत ही बाद में 1 सितम्बर 1967 को अपना कार्य आरम्भ किया और 19 फरवरी 1968 को अपना निर्णय दिया। इस निर्णय के तहत विवादास्पद क्षेत्र का 50 फीसदी भाग भारत को और 320 वर्ग मील का क्षेत्र पाकिस्तान को देने का निर्णय लिया गया। पाकिस्तान ने इसे मान लिया लेकिन भारत प्रधानमंत्री श्रीमती गाँधी ने इस निर्णय की कड़ी निन्दा की।

6 सितम्बर 1965 को पाकिस्तान ने भारत पर युद्ध आरम्भ करने का आरोप लगाया। भारत ने 08 सितम्बर 1965 को कराची के नजदीक एक नया मोर्चा खोल दिया और 09 सितम्बर को पश्चिमी क्षेत्र में गदरा एवं स्यालकोल सेक्टर में भी युद्ध का मोर्चा खोल दिया। इस तरह भारत द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान पर तीन ओर से आक्रमण किया गया।

*****पश्चात्य इतिहास विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

इस युद्ध को रोकने के लिए 9 सितम्बर को राष्ट्रसंघ के महामंत्री यू–थाण्ट ने रावलपिण्डी में, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खाँ तथा विदेशमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो से युद्ध विराम के बारे में वार्ता की तथा 12 सितम्बर को दिल्ली पहुँच कर राष्ट्र संघ के महामंत्री यू–थाण्ट ने भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा विदेशमंत्री स्वर्ण सिंह से बात की,लेकिन इन वार्ताओं का कोई स्थाई हल नहीं निकल पाया। इस पर राष्ट्र संघ महामंत्री यू–थाण्ट ने दोनों देशों को एक जैसे पत्र लिख कर यह प्रस्ताव रखा कि दोनों देश किसी भी शर्त पर 14 सितम्बर को प्रातः काल 6.30 बजे युद्ध विराम करना स्वीकार करें।

पाकिस्तान के विदेशमंत्री भुट्टो ने देखा कि युद्ध उग्र हो रहा है और पाकिस्तान की पराजय निश्चित है तो उन्होंने सुरक्षा परिषद् से आग्रह किया कि इस युद्ध को रोका जाय।

पाकिस्तान के आग्रह पर 22 सितम्बर 1965 को सुरक्षा–परिषद् की एक विशेष बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक में पाकिस्तान के विदेशमंत्री भुट्टो ने यह चेतावनी दी कि यदि संयुक्त राष्ट्र संघ एक निश्चित समय तक कश्मीर समस्या का समाधान करने असफल रहा तो पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ को त्याग देगा। सुरक्षा परिषद् ने भुट्टो के वक्तव्य के पश्चात् युद्ध विराम की अवधि (भारतीय समयानुसार) 23 सितम्बर प्रातः 3 बजकर 30 मिनट की समय निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की और 23 सितम्बर को युद्ध बन्द हो गया। लेकिन युद्ध विराम के बावजूद दोनों देशों के मध्य तनाव समय–समय पर संकटपूर्ण स्थिति में उभर कर सामने आने लगा। इसका मुख्य कारण यह था कि दोनों देशों की जनता युद्ध विराम के पक्ष में नहीं थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव यू–थान्ट ने 23 सितम्बर को अयूब खाँ व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उन्होंने दोनों लोगों को अपनी–अपनी सेनायें पीछे हटाने की बात कही। इसी दिन विदेशमंत्री भुट्टो ने घोषणा की कि पाकिस्तान अपनी सेनायें 5 अगस्त से पूर्व की स्थिति में नहीं पहुँचायेगा क्योंकि भारत ने अपनी सेना को 5 अगस्त की पूर्व की स्थिति 125 कवह125 जाने से इन्कार कर दिया है। भुट्टो यह भी घोषणा की कि अगर सुरक्षा–परिषद् कश्मीर समस्या का शीघ्र समाधान नहीं करता है तो पाकिस्तान 1 जनवरी 1966 को यू0एन0ओ0 की सदस्यता त्याग देगा। भुट्टो के इस प्रकार के वक्तव्यों से सुरक्षा–परिषद् ने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई। इस बैठक में सुरक्षा–परिषद् ने दोनों देशों से अपनी–अपनी सेनायें पीछे हटाने का आग्रह किया।

28 सितम्बर को साधारण–सभा में भी भारत–पाक विवाद पर विचार–विमर्श हुआ। साधारण सभा में भाषण देते हुए भुट्टो ने सुझाव दिया कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपनी समस्त सेनायें जम्मू–कश्मीर से हटा लें व उनको सीान पर संयुक्त राष्ट्रसंघ अपनी सेनायें तैनात करे। इस सेना में एशिया, अफ्रीका व अमेरिका के देशों की सेनायें सम्मिलित की जायें।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री भुट्टो ने पाकिस्तान की तरफ से भारत–पाकिस्तान तनाव को दूर करने के लिए एक प्रारूप पेश किया जिसके अनुसार अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन एवं रूस का एक आयोग बनाया जाय जो कि भारत और पाकिस्तान दोनों से वार्ता करें और संघर्ष को समाप्त कराये। लेकिन रूस ने इस आयोग में शामिल होने से साफ मना कर दिया बल्कि कहा कि वह दोनों देशों को मिलवाने के लिए 'अगर दोनों को स्वीकार हो', अपने यहाँ वार्ता का निमंत्रण देता हूँ। दरअसल, पाकिस्तान ने अपनी तरफ से जो प्रारूप प्रस्तुत किया था, वह अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा तैयार किया गया था। अक्टूबर के आरम्भ में अमरीका ने सुझाव दिया था कि रूस और अमरीका दोनों देश काश्मीर के मामले में मध्यस्थता करें। पर रूस ने इस सुझाव पर ध्यान नहीं दिया और भारत के विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि भारत काश्मीर के बारे में चार बड़े राष्ट्रों अथवा दो बड़े राष्ट्रों या एक राष्ट्र की कोई मध्यस्थता स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी ओर सोवियत रूस दोनों देशों में समझौता वार्ता करवाने व अपनी सद्सेवा प्रदान करने के लिए निरन्तर प्रयत्न कर रहा था।

23 नवम्बर को पाकिस्तान के विदेशमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो मास्को पहुँचे और रूसी नेताओं से बातचीत की। 25 नवम्बर को मास्को की प्रेस कान्फ्रेन्स में विदेशमंत्री भुट्टो ने कहा, ''हमने बिना किसी शर्त के भारत–पाक सम्बन्धी सब झगड़ों पर बातचीत करने का रूसी ऑफर स्वीकार कर लिया है। हमारी ओर से कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी। अब आगे भारत की मर्जी है।'' विदेशमंत्री भुट्टो ने कई बार इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि काश्मीर के बारे में हमारी यह बात है कि वहाँ के लोगों को आत्म–निर्णय करने का अधिकार मिलना चाहिए। सोवियत प्रधानमंत्री कोसिगिन के प्रयास से भारत–पाकिस्तान के बीच ताशकन्द में 4 जनवरी 1966 को दोनों देशों के शीर्षस्थ वार्ता करने की बात स्पष्ट हो गयी।

जनवरी 1966 को ताशकन्द में होने वाली भारत–पाकिस्तान वार्ता में पाकिस्तान की तरफ से एक प्रतिनिधि मण्डल ताशकन्द जाने के लिए तैयार हुआ, जिसमें राष्ट्रपति अयूब खाँ और विदेशमंत्री भुट्टो, सूचनामंत्री ख्वाजा शहाबुद्दीन, वाणिज्यमंत्री गुलाम फारुक, वायु सेना प्रमुख एयर मार्शल–असगर खान, विदेश सचिव अजीज अहमद, सूचना सचिव अल्फात गौहर, भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अरशद हुसैन और कई अन्य प्रमुख राजनयिक थे। वहीं भारतीय प्रतिनिधि मण्डल में भारत के प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री, विदेशमंत्री सरदार स्वर्ण सिंह, रक्षामंत्री वाई0बी0 चव्हाण, रूस में भारत के राजदूत टी0एन0 कौल और विदेश सचिव सी0एस0 झा आदि थे। सोवियत संघ की तरफ से जो लोग जो इस वार्ता में भाग ले रहे थे, वे रूसी प्रधानमंत्री कोसिगिन, विदेशमंत्री ग्रोमिको एवं रक्षामंत्री मेलिनोस्काई थे।

सोवियत रूस की मध्यस्थता में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खाँ और विदेशमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो तथा भारत के प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री के बीच ऐतिहासिक ताशकन्द सम्मेलन 4 जनवरी 1966 को प्रारम्भ हुआ। इस वार्ता के दौरान दोनों ही पक्षों में भारी उतार–चढ़ाव आता दिखाई दिया।

भुट्टो ने राष्ट्रपति अयूब खाँ को सलाह दी कि ऐसे किसी तरह भी समझौते को स्वीकार न करें जिसमें कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की बात सम्मिलित न हो। लेकिन राष्ट्रपति अयूब खाँ ने भुट्टो की सलाह को न मानते हुए सोवियत संघ द्वारा तैयार किये गये ताशकन्द समझौते पर हस्ताक्षर करने का निर्णय कर लिया था।

भुट्टो ने सार्वजनिक रूप से अपने को इस समझौता–वार्ता से अलग करने की आज्ञा माँगी, लेकिन राष्ट्रपति ने उस समय उनके इस इस्तीफे को नकार दिया और वार्ता में बने रहने को कहा।

अन्त में 9 जनवरी को 14 घण्टे के अथक प्रयास के पश्चात दोनों देशों में एक समझौता करवाने में सफल हो गये। 10 जनवरी को रात्रि के ठीक 9 बजे सोवियत प्रधानमंत्री कोसिगीन की उपस्थिति में राष्ट्रपति अयूब खाँ व प्रधानमंत्री शास्त्री ने समझौते पर हस्ताक्षर किये। यह समझौता ताशकन्द घोषणा के नाम से विख्यात हुआ। इस समझौते में 9 अनुच्छेद हैं, जो कि इस प्रकार से हैं–

1. शान्तिपूर्ण साधनों से समस्याओं का समाधान किया जायेगा। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र के चार्ट के अनुरुप अच्छे पड़ोसियों के समान व्यवहार करेंगे और अपनी समस्याओं को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझायेंगे।
2. दोनों देश के नेता अपनी सेनाओं को 5 अगस्ता 1965 की स्थिति में वापस बुला लेंगे। यह कार्य 25 फरवरी तक पूर्ण कर दिया जायेगा। दोनो ही देश युद्ध विराम रेखा का सम्मान करेंगे।
3. भारत के प्रधानमंत्री व पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस बात पर सहमत थे कि दोनों एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
4. दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध अपने यहाँ प्रचार को प्रोत्साहन नहीं देंगे। बल्कि ऐसे प्रचार को प्रोत्साहन देंगे जो दोनों के मध्य मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बढ़ाने में सहायक होंगे।
5. भारत के प्रधानमंत्री व पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस बात पर सहमत थे 126 कवह राजनयिक सम्बन्धों को पुनर्स्थापित करेंगे तथा दोंनों देश राजनयिक सम्बन्धों के

मामले में 1969 के वियना अभिसमयों का पालन करेंगे।

6. भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के नेता ने इस बात पर सहमति व्यक्त की 127 कवह आर्थिक एवं व्यापारिक सम्बन्धों, संचार साधनों व सांस्कृतिक सम्बन्धों को पुनः सीापित करेंगे व वर्तमान सम्बन्धों को नई नीति देंगे।
7. भारत के प्रधानमंत्री व पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने अपने अधिकारियों को युद्धवन्दियों की वापसी का आदेश देने पर सहमति व्यक्त की।
8. भारतीय प्रधानमंत्री व पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस बात पर सहमत थे कि दोनों पक्ष शरणार्थियों की समस्याओं से तथा अवैध दंग से घुसे व्यक्तियों की निकासी से सम्बन्धित प्रश्नों पर आपसी विचार–विमर्श जारी रखेंगे। वह अपने–अपने देश में ऐसी स्थिति पैदा करेंगे जिससे की लोगों को देश छोड़कर भागना न पड़े।
9. भारत के प्रधानमंत्री व पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस बात पर सहमत हुए कि दोनों देशों से सन्धि सम्बन्ध रखने वाले मामलों पर विचार करने के लिए दोनों पक्ष सर्वोच्च मधुर सम्बन्ध कायम करने के लिए संयुक्त संस्था का गठन करेंगे।
10. ताशकन्द समझौते से विदेशमंत्री भुट्टो काफी निराश थे, ताशकन्द से वापस लौटते समय ही भुट्टो ने सोच लिया था कि अब वे पाकिस्तानी तानाशाह के साथ नहीं रह सकते। अतः 16 जून 1966 को विदेशमंत्री जुल्फिकार अली ने अपनें पद से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति अयूब खाँ ने इस्तीफा मंजूर कर लिया।

संदर्भ –

- फातिमा भुट्टो, दास्तां खून और शमशीरकी, एक बेटी की जुबानी, पेगुइन बुक्स इण्डिया, 2010.
- बंशीलालकाक, जुल्फिकारअलीभुट्टो, डायरी के आखिरी पन्ने, राधा कृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 1979.
- बुरहानुद्दीनमुमिन, भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध, प्रिन्टवैल प्रकाशक, जयपुर, 1995.
- जी0एल0 कुल्हरी, बदलतेहुए अन्तर्राष्ट्रीय परिवेशमें भारत–पाक सम्बन्ध, आर0बी0एस0ए0 पब्लिशर्स, जयपुर 2008.
- जी0डब्ल्यू0 चौधरी, पाकिस्तान रिलेशन्स विथ इण्डिया (1949–1966), पालमालप्रेस, लन्दन, 1968.
- एस0के0 दत्ता राजीव शर्मा, पाकिस्तान जिन्ना से जेहाद तक, प्रभात प्रकाशन दिल्ली, 2003.
- एस0 रज़ा, दि पाकिस्तान आर्मी वार 1965, सर्विस बुक क्लब, लाहौर, 1984.
- मोहम्मद एहसान चौधरी, पाकिस्तान एण्ड दी ग्रेटपावर्स, कॉउन्सिल फार पाकिस्तान स्टडीज, कराँची 1970.
- लारेन्सजीरिंग, दिअयूब खाँ इरा पालिटिक्स इन पाकिस्तान, 1958–1969, साइरेकस यूनीवर्सिटी प्रेस, 1971
- सलमानतासिर, भुटटो ए पॉलिटिकल बायोग्राफी, विकास पब्लिकेशन हाउस, दिल्ली, 1980.
- स्टेनले ए0 वूल्पर्ट, जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान : हिजलाइफ एण्डटाइम्स, आक्सफोर्ड युनीवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क, 1993.
- कुलदीपनायर, डिस्टेन्सनेवर्स : ए टैल ऑफ दिसब–कॉन्टीनेन्ट, विकास पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1972.
- राजेन्द्र सिंह गौड़, भारत–पाक सम्बन्ध आज तक, राजस्थानी ग्रन्थागार प्रकाशन जोधपुर, 2002.
- अनिल कुमार, भारत पाकिस्तान सम्बन्ध, इण्डियन पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली, 2005.
- अनुपम त्यागी, भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध, रिजेन्सी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2004.
- कृष्णदेवझारी, भारत–पाकनिर्णायक युद्ध 1965, कमलप्रकाशन, अम्बाला, 1966.
- डी0सी0 गुप्ता, इन्टरनेशनल अफेयर्स, मेट्रो पोलिटिन बुक वर्क्स, दिल्ली, 1972.